

~ 1 ~

वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड,  
एक सदस्यीय पीठ—देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,

द्वितीय अपील संख्या: 20 / 2025 (वर्ष 2015-16, धारा 25(7) )

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

बनाम

सर्वश्री चारु स्टील्स लि० बलभद्रपुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

अपीलार्थी की ओर से: श्री भुवन चन्द्र पाण्डे.....राज्य-प्रतिनिधि।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री रुचिन सिंघल.....सी० ए० ।

—: निर्णय :-

मलिक मजहर सुलतान, अध्यक्ष

उपरोक्त द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 53 के अन्तर्गत आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड द्वारा संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रथम अपील संख्या-13/2025 (वर्ष 2015-16, धारा-25(7) ) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 05-03-2025 के विरुद्ध दायर की गयी है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी/व्यापारी की उक्त वर्ष हेतु दायर अपील स्वीकार की गयी है। विभाग द्वारा प्रश्नगत वाद में रु० 91,015.00 की आईटीसी, जिसका लाभ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी को प्रदान किया गया है, को विवादित किया गया है।

2. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यापारी विभाग में इंगट के निर्माण एवं बिक्री हेतु पंजीकृत हैं। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में फेरा एलॉयज, सिलिको मैगनीज की कुल खरीद रु० 42,40,740.00 किया जाना घोषित किया गया है, जिस पर अदा किये गये कर रु० 2,12,037.00 का आईटीसी के रूप में लाभ का दावा किया गया है। उक्त दावाकृत आईटीसी में से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रु० 91,638.00 की आईटीसी को संगत वर्ष में एस०एस इंगट के स्टॉक ट्रांसफर के सापेक्ष रिवर्स किया गया है। आईटीसी रिवर्सल के संबंध में कर निर्धारण आदेश दिनांक 25/06/2019 में पृष्ठ संख्या 5 एवं 6 पर निम्न प्रकार अंकन किया गया है—

*“व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में रु० 28,41,95,790.00 की स्वनिर्मित एस०एस०इंगट का स्टॉक ट्रांसफर किया गया है। व्यापारी द्वारा कुल बिक्री रु० 39,45,54,924.00 की घोषित की गई है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर की गई कुल बिक्री का अनुपात कुल बिक्री के सापेक्ष 72.03 प्रति० आता है। व्यापारी द्वारा रॉ-मैटीरियल की खरीद रु०*

42,40,740.00 की गई है, जिसका 3 प्रतिशत रु 1,27,222.00 आईटीसी का कुल बिक्री के सापेक्ष स्टॉक ट्रांसफर बिक्री के अनुपात में अर्थात् 72.03 प्रतिशत रु 91,638.00 आईटीसी रिवर्स किया जाता है।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा दावाकृत कुल आईटीसी रु 2,12,037.00 में रिवर्स योग्य आईटीसी रु 91,638.00 को कम करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यापारी को केवल रु 1,20,399.00 का आईटीसी सत्यापनाधीन प्रदान किया जा रहा है।”

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रु 91,638.00 की आईटीसी का स्टॉक ट्रांसफर के सापेक्ष रिवर्सल किया गया है।

3. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2025 को पारित निर्णय के माध्यम से व्यापारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रश्नगत वाद में केवल रु 623.00 की आईटीसी रिवर्स किये जाने योग्य मानी गयी है, तदनुसार रु 91,638.00 की आईटीसी में से रु 91,015.00 का लाभ आईटीसी के तौर पर व्यापारी को अनुमन्य किया गया है। इस संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रकार अपना मत व्यक्त किया गया है—

“अपीलकर्ता के द्वारा संगत वर्ष में क्रय किए गए माल से निर्मित माल का जो स्टॉक ट्रांसफर संगत वर्ष में घोषित किया गया है वह रु 28,41,95,790.00 है, जो कि कुल बिक्री का 72.03 प्रति० है, लेकिन संगत वर्ष में वादी के द्वारा 95.06 मी०टन सिलिको मैंगनीज का प्रयोग 13881.410 मी०टन ईगंट के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से 0.68 प्रतिशत सिलिको मैंगनीज का प्रयोग अपीलकर्ता के द्वारा किया गया है। संगत वर्ष में अपीलकर्ता के द्वारा कुल MS INGOT मी०टन 13,881.410 में मी०टन 3,986.035 (29 प्रतिशत) केन्द्रीय व प्रान्तीय ब्रिकी तथा मी०टन 9,895.375 (72 प्रतिशत) का STOCK TRANSFER किया है। अतः प्रपोसनेट अनुपातिक रूल लगाने के उपरान्त वादी का स्टॉक ट्रांसफर आईटीसी का रिवर्सल 72.03 प्रतिशत का 0.68 प्रतिशत होना चाहिये था। अपीलकर्ता को कर निर्धारण आदेश के अनुरूप सिलिको मैंगनीज की खरीद रु 42,40,740.00 का 3 प्रतिशत रु 1,27,222.00 में से STOCK TRANSFER 72.03 प्रतिशत का रु 91,638.00 का 0.68 प्रतिशत रु 623.00 रिवर्स किया जाना चाहिए। सिलिको मैंगनीज आईटीसी रु 2,12,037.00 में से रिवर्सल रु 623.00 करने के उपरान्त रु 2,11,414.00 का आईटीसी का अनुमन्य किया जाता है।”

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर व्यापारी की अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी है।

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संदर्भित निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) में निहित विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि संगत वर्ष में व्यापारी की कुल

विक्रय/हस्तांतरण रु0 39,45,54,924.00 का है, जिसमें से रु0 28,41,95,790.00 की राशि का माल स्टॉक ट्रांसफर किया गया है, जो कुल विक्रय/हस्तांतरण का लगभग 72 प्रतिशत है। तर्क रखा गया कि इंगट के उक्त विक्रय/हस्तांतरण में प्रयुक्त फ़ैरा एलॉयज, सिलिका मैगनीज का क्रय प्रांतीय है। इस संबंध में कहा गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल रु0 42,40,740.00 राशि के फ़ैरा एलॉयज/सिलिका मैगनीज के क्रय पर कुल रु0 2,12,037.00 कर के रूप में अदा किया गया है, जिसका उपयोग इंगट के निर्माण में किया गया है। इस प्रकार प्रांतीय क्रय किये गये सिलिका मैगनीज से निर्मित इंगट में से व्यापारी द्वारा 72 प्रतिशत इंगट का स्टॉक ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में धारा 6(3) के प्रथम प्रतिबंध का संदर्भ लेते हुए यह कहा गया है कि बिक्री के अन्यथा हस्तांतरित माल के कच्चे माल के क्रय पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के संबंध में आंशिक इनपुट कर प्रत्यय का लाभ अनुमन्य होना प्रावधानित किया गया है। उक्त प्रावधान के अनुरूप ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिलिका मैगनीज के क्रय पर प्राप्त रु0 2,12,037.00 राशि की आईटीसी में से रु0 91,638.00 की आईटीसी रिवर्स की गयी है, जो तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के क्रम में उचित है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुचित रूप से उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया गया है।

इस प्रकार विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त आधारों पर द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि एवं डिप्टी कमिश्नर श्री भुवन चंद्र पाण्डे उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपीलीय आधारों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 25/06/2019 को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी। व्यापारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रुचिन सिंघल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. वाद के तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नगत अर्थदण्ड वाद के निस्तारण हेतु अवधारण का बिन्दु (Point of determination) निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है—

“क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत एवं अधिनियम की धारा 6(3) में निहित विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य की गयी राशि रु0 91,015.00 उचित है अथवा नहीं ?”

8. उपरोक्तानुसार अवधारित बिन्दु के क्रम में वाद के तथ्यों, कर निर्धारण आदेश, प्रथम अपीलीय निर्णय तथा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय उभयपक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष में रखे गये तर्कों पर विचार किया गया। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा इंगट के निर्माण के उपरांत उक्त की प्रांतीय तथा केंद्रीय बिक्री के साथ-साथ स्टॉक ट्रांसफर भी किया गया है। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल विक्रय/हस्तांतरण रु0 39,45,54,924.00 किया गया है, जिसमें से रु0 28,41,95,790.00 की राशि का माल स्टॉक ट्रांसफर किया गया है, जो कुल विक्रय/हस्तांतरण का लगभग 72 प्रतिशत है। इंगट के उक्त विक्रय/हस्तांतरण में प्रयोग

किया गया फ़ैरा एलॉयज, सिलिका मैगनीज की कुल रू0 42,40,740.00 का प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों से क्रय किया गया है, जिस पर व्यापारी द्वारा रू0 2,12,037.00 कर के रूप में अदा किया गया है। वाद के इन तथ्यों के संबंध में उभय पक्षों में कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार प्रांतीय क्रय किये गये सिलिका मैगनीज से निर्मित इंगट में से व्यापारी द्वारा 72 प्रतिशत इंगट का स्टॉक ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में धारा 6(3) के प्रथम प्रतिबंध का संदर्भ लेते हुए यह कहा गया है कि बिक्री के अन्यथा हस्तांतरित माल के कच्चे माल के क्रय पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के संबंध में आंशिक इनपुट कर प्रत्यय का लाभ अनुमन्य होना प्रावधानित है। उक्त प्रावधान के अनुरूप ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिलिका मैगनीज के क्रय पर प्राप्त रू0 2,12,037.00 राशि की आईटीसी में से रू0 91,638.00 की आईटीसी रिवर्स की गयी है, जो तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के क्रम में उचित है। उक्त के विपरीत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले में अधिनियम की धारा 6(3) एवं 6(4) में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में केवल रू0 623.00 की आईटीसी रिवर्स किये जाने योग्य माना गया है, जिसकी पुष्टि किये जाने की प्रार्थना व्यापारी द्वारा की गयी है।

9. उपरोक्तानुसार उभय पक्षों द्वारा अपने पक्ष में रखे गये परस्पर विरोधी तर्कों के परिप्रेक्ष्य में धारा 6(3) एवं 6(4) में निहित विधिक प्रावधान अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार हैं—

**Section-6:-Input Tax Credit :-**

(3) Input tax credit shall be allowed for the goods purchased within the State of Uttarakhand, from a registered dealer holding a valid certificate of registration under Section 15 or Section 16, for the purpose of-

- (a) Sale in Uttarakhand; or
- (b) Sale in the course of inter-state trade and commerce; or
- (c) Sale in the course of export out of the territory of India; or
- (d) Use as [raw material and consumables]in manufacturing or processing of goods (other than those specified in Schedule I or Schedule III) and containers or other packing materials used for packing of such manufactured goods, for sale or resale within the state or in the course of inter- state trade or commerce;

(e) Use as [raw material and consumables] in manufacturing or processing of any goods (other than those specified in Schedule III) and containers and other packing materials used for packing of such manufactured goods, for sale in the course of export of goods out of the territory of India;

**Provided** that with reference to clause (d) above, in case such finished products are dispatched outside the state other than by way

of sale, a partial amount of input tax credit shall be allowed in respect of tax paid (in excess of 2 percent) on the raw materials used directly in the manufacture of such finished products;

**Provided further** That partial input tax credit shall be allowed in respect of tax paid [in excess of 2 percent] on petroleum products used as fuel (other than Petrol Aviation Turbine Fuels, Natural Gas and Diesel) and other fuels used in production of taxable goods or captive power, but excluding fuel when used as fuel in motor vehicles.

(4) (a) Where during a tax period a registered person purchasing goods (other than Capital goods) on which an input tax credit is admissible under the provisions of this section, and the purchases are used partially for various purposes specified in sub-section (3), input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified therein, and such different purposes include-

(i) Sales consisting of sale of taxable goods and sale of goods exempted from tax, or

(ii) Sales outside the State consisting of sale of goods and dispatches of goods in the form of consignment or stock transfer to other States, or

(iii) Inputs being used in the course of business and inputs being used for any other purposes;

(b) Amount of input tax credit in respect of purchases of a particular commodity during the tax period shall be the aggregate of all amounts of input tax credit computed in respect of each purpose the commodity purchased is utilized. The total amount of input tax credit shall be the aggregate of input tax credit for all commodities;

(c) The method that is used by a person to determine the extent to which goods are sold or supplied, or used or consumed in the manufacturing of goods, or intended to be sold or supplied, or used or consumed in the manufacturing of the goods, for different purposes, should be in an intelligible form and fair and reasonable in the circumstances.

**Provided** that the State Government may, from time to time, frame rules consistent with the provisions of this Act for computation of input tax and when such rules are framed, no input tax shall be computed except in accordance with such rules.

उपरोक्तानुसार उद्धृत विधिक प्रावधानों में धारा 6(3) के प्रथम प्रतिबंध में उल्लिखित विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रांत बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये गये माल में प्रयुक्त

कच्चे माल पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के संबंध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा। उक्त से यह स्पष्ट है कि जो कच्चा माल स्टॉक ट्रांसफर किये गये निर्मित माल में प्रयुक्त हुआ है, पर प्रांत में अदा किये गये कर में से 2 प्रतिशत से अधिक अदा किये गये कर का लाभ व्यापारी को अनुमन्य होगा। वाद के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा जो स्टॉक ट्रांसफर स्वनिर्मित इंगट का किया गया है, में प्रयुक्त फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज पर अदा किये गये कर में से 2 प्रतिशत से अधिक अदा किये गये कर का ही लाभ आईटीसी के रूप में आंशिक रूप से अनुमन्य होगा। इस प्रकार इस क्रम में यह निर्धारित किया जाना है, कि स्वनिर्मित जिस इंगट का स्टॉक ट्रांसफर किया गया है, के निर्माण में कितना फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज प्रयुक्त हुआ है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार संगत वर्ष में उनके द्वारा कुल 13,865.615 मी0टन इंगट का निर्माण हुआ है, जिसमें 95.060 मी0 टन सिलिका मैगनीज का उपयोग हुआ है। इस प्रकार उक्तानुसार इंगट के निर्माण में प्रयुक्त सिलिका मैगनीज का प्रतिशत 0.68 आता है। उक्त उत्पादित/निर्मित 13,865.615 मी0टन में से व्यापारी द्वारा कुल 13881.410 मी0टन इंगट का विक्रय/स्टॉक ट्रांसफर किया गया है। उक्त 13881.410 मी0टन में से 9895.375 मी0टन इंगट का स्टॉक ट्रांसफर तथा 3986.035 मी0टन इंगट की प्रांतीय एवं केंद्रीय बिक्री की गयी है। उपरोक्तानुसार उद्धृत विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि इंगट की प्रांतीय तथा केंद्रीय बिक्री में प्रयुक्त फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज की प्रांतीय खरीद पर अदा किये गये समस्त कर का लाभ आईटीसी के रूप में व्यापारी को अनुमन्य होगा, परन्तु जिस स्वनिर्मित इंगट का व्यापारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर किया गया है, में प्रयुक्त फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज की प्रांतीय खरीद पर अदा किये गये कर में से 2 प्रतिशत से अधिक अदा किये गये कर का ही लाभ आईटीसी के रूप में अनुमन्य होना है। व्यापारी द्वारा फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज की खरीद पर 5 प्रतिशत की दर से कर अदा किया गया है, जिसमें से केवल 3 प्रतिशत ही व्यापारी को आंशिक आईटीसी के रूप में अनुमन्य होगा। जो विवरण व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, के अनुसार स्वनिर्मित इंगट के निर्माण में 0.68 प्रतिशत फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज का प्रयोग हुआ है। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल 9895.375 मी0टन इंगट का स्टॉक ट्रांसफर हुआ है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि इंगट के निर्माण में फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज का उपयोग 0.68 प्रतिशत रहा है, के दृष्टिगत स्टॉक ट्रांसफर किये गये उक्त माल में 0.68 प्रतिशत के हिसाब से कुल 67.29 मी0टन फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज का प्रयोग किया जाना प्रकाश में आता है। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल 90.890 फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज का क्रय रु0 42,40,740.00 हेतु किया गया है। उक्त के आधार पर उक्त कच्चे माल का प्रति टन औसत मूल्य रु0 46,658.00 आगणित होता है। इस हिसाब से व्यापारी द्वारा कुल रु0 31,39,617.00 मूल्य के फैंरो एलॉयज, सिलिका मैगनीज का प्रयोग स्टॉक ट्रांसफर में हुआ है। इस पर व्यापारी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से रु0 1,56,981.00 कर अदा किया गया है, जिसमें से धारा 6(3) में निहित प्रथम प्रतिबंध के

~ 7 ~

आधार पर 2 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 3 प्रतिशत का लाभ आंशिक आईटीसी के रूप में अनुमन्य होगा। इस प्रकार उक्त अदा किये गये कर में से रु0 62,792.00 का लाभ व्यापारी को अनुमन्य नहीं होगा। उक्त गणना के आधार पर व्यापारी द्वारा दावाकृत कुल आईटीसी रु0 2,12,037.00 में से कुल रु0 1,49,245.00 की आईटीसी ही अनुमन्य होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो विवरण व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, के संबंध में विभाग द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है, अतः धारा 6(4)(c) में निहित प्रावधान जिसमें बोधगम्य, उचित एवं युक्तियुक्त रूप से आईटीसी अवधारित किया जाना प्रावधानित है, के परिप्रेक्ष्य में मेरे विचार से उपरोक्त गणना तर्कसंगत है।

10. उपरोक्त प्रस्तारों में की गयी विवेचना के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत मामले में आईटीसी रिवर्सल की राशि रु0 91,638.00 के बजाय रु0 62,792.00 आगणित होती है।

### —:: आदेश ::—

विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील 20/2025 (वर्ष 2015-16, धारा 25(7) ) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। कुल दावाकृत आईटीसी रु0 2,12,037.00 के सापेक्ष रु0 1,49,245.00 की आईटीसी अनुमन्य करते हुए रु0 62,792.00 की आईटीसी रिवर्स किये जाने योग्य निर्धारित की जाती है। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0 08-10-25  
( मलिक मजहर सुलतान )  
अध्यक्ष,  
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:- 8 अक्टूबर, 2025



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>